भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2179

उत्तर देने की तारीख 9 दिसंबर, 2024

सोमवार, 18 अग्रहायण 1946 (शक)

कौशल विकास हेतु योजना

2179. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत अब तक आयोजित काल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या कितनी है तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों/युवाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त योजना के तहत छत्तीसगढ़ को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ग) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश भर में सभी को कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग संगत कौशल युक्त करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इन योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या और जारी निधि का विवरण निम्नानुसार है:

स्कीम (अवधि)	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)
पीएमकेवीवाई (2015-16 से 31.10.2024 तक)	199419	141.86
जेएसएस (2018-19 से 31.10.2024 तक)	110819	32.02
एनएपीएस (2016-17 से 31.10.2024 तक)	16632	9.12
सीटीएस (2008-09 से 31.10.2024 तक)	130602	-

पीएमकेवीवाई और जेएसएस स्कीमों के अंतर्गत निधि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं। एनएपीएस के तहत, प्रतिष्ठानों को वृत्तिका सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। सीटीएस स्कीम आईटीआई और दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और आईटीआई के संबंध में वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

*****